# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री अनूपगढ़

**पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.**

अनवान -

01- अमीरचंद पुत्र श्री खेमराज जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ तहसील वा जिला-हनुमानगढ (राज0)

--प्रार्थी--

बनाम-

01- योगध्यान पुत्र श्री खेमराज जाति अरोड़ा निवासी रावला मण्डी तहसील रावला जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

02- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ।

--अप्रार्थीगण--

उपस्थिति- 01- श्री साहिब बाघला, वकील प्रार्थी।

02- श्री प्रेम चुघ, वकील अप्रार्थीगण संख्या 01

02- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम )

राजस्व प्रकरण संख्या - 08/2022 निर्णय दिनांक - 16-1-25

(जी.सी.एम.एस.-2022/00055)

---

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

यह कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें वादी के कामयाब होने की पूरी पूरी आशा है। कृषि भूमि वाके चक-11 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-77 पत्थर सं-196/470 का किला नं-11, 13, 17 ता 24, 25/1, 25/2 मे 2.2010 हैक्टर अनकमाण्ड व 0.5820 हैक्टर कमाण्ड, मुरब्बा नं-58 पत्थर सं-200/469 का किला नं-11 ता 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20 ता 25 मे 1.8470 हैक्टर कमाण्ड व 1.9480 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 6.5780 हैक्टकर कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक-12 जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-151/395 का किला नं-1, 2, 9, 10, 11, 12, 19/2, 20 ता 25 मे 3.1630 हैक्टर कमाण्ड रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी सं-1 के नाम से 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसे आगे वाद पत्र मे वादाधीन कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं-1 के नाम से मुस्तरका खाता मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा उपरोक्तानुसार व सुविधानुसार उक्त रकबा पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं-1 का सयुंक्त शांति पूर्वक कब्जा काश्त है तथा उसी अनुसार मौका पर सयुंक्त रूप से फसल बिजांद कर रखी है। प्रार्थी यहां यह निवेदन करता है कि उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे सयुंक्त रूप से दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं-1 आपसी सहमति से उपरोक्त वादाधीन कृषि भूमि को सयुंक्त रूप से ही हिस्सा/ठेका पर काश्त करवाते है तथा प्रार्थी जो कि हनुमानगढ मे निवास करता है, अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी को [illegible] मे रख कर बेईमानी पूर्वक आशय से चक 11 ए.एस तहसील [illegible] का मुरब्बा नं-77 पत्थर सं-196/470 के किला नं-23 ता 25 मे [illegible] का कार्य कर रखा है, किला नं-17, 18 मे ट्युबवैल [illegible] पक्के कमरे बना रखे है जिसमे बिजली कनेक्शन है तथा एक जरनेटर रखा [illegible] है। उपरोक्त वादाधीन कृषि भूमि मुस्तरका खाता मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी सं-1 के मध्य अक्सर मालकाना आबयाना आदि जमा करवाने को लेकर विवाद पैदा हो जाता है जिससे

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.01 10:00:13 IST
Reason: Self Attested



Scanned with CamScanner

रंजिश बढ़ती है। चूकिं उक्त वादाधीन कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे सयुंक्त खाता मे है तथा अभी तक खाता विभाजन नही हुआ है और ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि वादाधीन भूमि के किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है तथा सयुंक्त रूप से अपने-2 हिस्सा अनुसार काश्त इंतजाम करते है। इसलिए विवाद व झगड़े से बचने के लिए प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी सं-1 से तहसील परिसर चल कर वादाधीन कृषि भूमि का किस्म तथा अपने हिस्सा अनुसार बंटवारा करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम से खाता विभाजन करवा कर अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थी सं-1 हर बार बहानेबाजी कर टाल मटोल करता आ रहा है। अब प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी सं-1 सयुंक्त खाता की कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाऐ विशेष किलाजात दर्शा कर अपने हिस्सा की कृषि भूमि बेचान करने हेतु प्रयासरत है जबकि उक्त कृषि भूमि सयुंक्त खाता मे है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी सं-1 के मध्य खाता विभाजन नही हुआ है और ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि किस हिस्सेदार का वादाधीन कृषि भूमि के किस हिस्सा, किस बीघाजात पर कब्जा है। लेकिन अप्रार्थी सं-1 विशेष किलाजात दिखाते हुऐ अपना-2 हिस्सा अन्यत्र बेचान करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 2-12-2021 को प्रार्थी ने अप्रार्थी सं-1 से सम्पर्क कर वादाधीन कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी किस्म के अनुसार तथा अपने-2 हिस्सा अनुसार बंटवारा करवा कर अपना-2 नाम राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं-1 ने वादाधीन कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा अप्रार्थी सं-1 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वह वादाधीन कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने बिना ही वादाधीन भूमि मे से अपना-2 हिस्सा बंटवारा से पूर्व ही बेचान कर देगें। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं-1 को समझाया कि विवाद बढ़ाना अच्छा नही है आप बिना खाता विभाजन करवाऐ रिकार्ड मे परिर्वतन करवाने व विशिष्ठ किलाजात का बेचान नही कर सकते। मगर अप्रार्थी ने स्पष्ट धमकी दी कि वह शीघ्र ही ऐसा करेंगें आपने जो करना है कर लो। प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थी वादाधीन कृषि भूमि की अप्रार्थी सं-1 के साथ सहखातेदार कृषक है। चूकिं वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं-1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में सयुंक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। इसलिए प्रार्थी वादाधीन कृषि भूमि की किस्म के अनुसार अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी अनुसार खाला रास्ता आदि को मध्यनजर रख कर भूमि का खाता विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं-1 ने वादाधीन कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन अपने हिस्सा की कृषि भूमि को किलाजात मे विशिष्ठ रूप से अन्यत्र बेचान करने के प्रयासरत है जिसके संबंध मे अप्रार्थी ने दिनांक 2-12-2021 को प्रार्थी को स्पष्ट रूप से ऐलानिया धमकी भी दी है। जबकि अप्रार्थी सं-1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। अगर अप्रार्थी सं-1 अपने नापाक इरादे मे कामयाब हो गया और वादाधीन कृषि भूमि का विधिवत खाता विभाजन हुऐ बिना अप्रार्थी वादाधीन कृषि भूमि मे से किलाजात दर्शा कर भूमि का बेचान करने मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है कि अप्रार्थी खाता वि[illegible] बिना उक्त वादाधीन कृषि भूमि का हस्तांतरण, रहन, बैय क[illegible] परिर्वतन करवाने से बाज व ममनु रहे। प्रथम [illegible] का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेद[illegible] कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे वह मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक-11 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.01 10:00:13 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

मुरब्बा नं-77 पत्थर सं-196/470 का किला नं-11, 13, 17 ता 24, 25/1, 25/2 मे 2.2010 हैक्टर अनकमाण्ड व 0.5820 हैक्टर कमाण्ड, मुरब्बा नं-58 पत्थर सं-200/469 का किला नं-11 ता 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20 ता 25 मे 1.8470 हैक्टर कमाण्ड व 1.9480 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 6.5780 हैक्टकर कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक-12जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-151/395 का किला नं-1, 2, 9, 10, 11, 12, 19/2, 20 ता 25 मे 3.1630 हैक्टर कमाण्ड रकबा मे प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी करने, करवाने से बाज व ममनु रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से श्री प्रेम चुघ द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया परन्तु प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज औपचारिक पक्षकार है जिसके जवाब की आवश्कता नहीं।

हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक-11 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-77 पत्थर सं-196/470 का किला नं-11, 13, 17 ता 24, 25/1, 25/2 मे 2.2010 हैक्टर अनकमाण्ड व 0.5820 हैक्टर कमाण्ड, मुरब्बा नं-58 पत्थर सं-200/469 का किला नं-11 ता 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20 ता 25 मे 1.8470 हैक्टर कमाण्ड व 1.9480 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 6.5780 हैक्टकर कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक-12जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-151/395 का किला नं-1, 2, 9, 10, 11, 12, 19/2, 20 ता 25 मे 3.1630 हैक्टर कमाण्ड रकबा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 उक्त भूमि में सह-खातेदार व सह-काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि खुर्द-बुर्द करने पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी एवं ना पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थी को होगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक-11 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-77 पत्थर सं-196/470 का किला नं-11, 13, 17 ता 24, 25/1, 25/2 मे 2.2010 हैक्टर अनकमाण्ड व 0.5820 हैक्टर कमाण्ड, मुरब्बा नं-58 पत्थर सं-200/469 का किला नं-11 ता 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20 ता 25 मे 1.8470 हैक्टर कमाण्ड व 1.9480 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 6.5780 हैक्टकर कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक-12जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-151/395 का किला नं-1, 2, 9, 10, 11, 12, 19/2, 20 ता 25 मे 3.1630 हैक्टर कमाण्ड भूमि की वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक उभयपक्ष मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक .../.../25 ...को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.01 10:00:13 IST
Reason: SelfAttested

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर



Scanned with CamScanner